न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70/2017 G.C.M.S. No. 2018/00007 दर्ज दिनांक : 06.09.2017

अपीलार्थिगण:

1. स्व. लखाराम पुत्र गलाजी के का.मु.:–
   - 1/1 सुखीदेवी पत्नि स्व. लखारामजी उम्र 70 वर्ष
   - 1/2 फुलचंद पुत्र स्व. लखारामजी उम्र 48 वर्ष
   - 1/3 नारायणलाल पुत्र स्व. लखारामजी उम्र 42 वर्ष
   - 1/4 हरीशकुमार पुत्र स्व. लखारामजी उम्र 37 वर्ष
   - 1/5 हिम्मतमल पुत्र स्व. लखारामजी उम्र 32 वर्ष
   - 1/6 गैरीदेवी पुत्री स्व. लखारामजी उम्र 40 वर्ष
2. पुनाराम पुत्र गलाजी
3. स्व. थानाराम पुत्र गलाजी के का.मु. वारिसान:–
   - 3/1 तेजाराम पुत्र थानारामजी
   - 3/2 छगनाराम पुत्र थानारामजी
   - 3/3 लच्छाराम पुत्र थानारामजी
   - 3/4 हरकुबाई बेवा थानारामजी तमाम जातिगण जांगीड़ ब्राह्मण (सुथार) निवासीगण पादरली, तहसील आहोर, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. भगाराम पुत्र गलाजी के का.मु.:–
   - 1/1 चेनाराम पुत्र भगाजी
   - 1/2 केसाराम पुत्र भगाजी
2. स्व. दुदाराम पुत्र गलाजी के का.मु.:–
   - 2/1 भोमाराम पुत्र दुदारामजी
   - 2/2 जीवराज पुत्र दुदारामजी
   - 2/3 स्वर्गीय मोहनलाल पुत्र दुदारामजी के का.मु.:–
     - 2/3/1 बदामीदेवी पत्नि स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/2 पूरण पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बदामीदेवी पत्नि स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/3 प्रकाश पुत्र स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/4 गंगा पुत्री स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/5 रमीला पुत्री स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/6 सयया पुत्री स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/7 पिंकी पुत्री स्व. मोहनलालजी
     - 2/3/8 भाटीया पुत्री स्व. मोहनलालजी
   - 2/4 टेकचंद पुत्र दुदारामजी
   - 2/5 भूरमल पुत्र दुदारामजी
   - 2/6 रणछोड़राम पुत्र दुदारामजी तमाम जातिगण जांगीड़ ब्राह्मण (सुथार) निवासीगण पादरली, तहसील आहोर, जिला जालोर।
3. राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 265/2008 बअनवान भगाराम के कायम मुकाम चेनाराम वगैरह बनाम लखाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 01.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 265/2008 बअनवान भगाराम के कायम मुकाम चेनाराम वगैरह बनाम लखाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा खेजड़िया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली में हाल सेटलमेन्ट संवत 2037 के पूर्व पुराना खसरा नम्बर 11 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा किस्म जवाई दोयम की कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2026–2029 अनुसार गला पुत्र अचलाजी के नाम खातेदारी की आई हुई थीं। उक्त पुराना खसरा नम्बर 11 को वक्त सेटलमेन्ट नये खसरा नम्वर 27, 28 व 32 रकबा क्रमशः 0.95, 0.92 व 0.95 हैक्टेयर बने, जो वादग्रस्त भूमि है। उक्त कृषि भूमि को स्व. गला पुत्र अचलाजी ने सेटलमेन्ट के पूर्व जरिये बक्षीशनामा दिनांक 04.02.1974 के अपने पुत्रों लखाराम, पुनाराम व थानाराम को बक्षीस की थीं और उसी अनुसार मौके पर अलग–अलग भाग पर इनका कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से उक्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है। वक्त सेटलमेन्ट लखाराम, पुनाराम व थानाराम का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहने व बक्षीसनामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इनका नाम इन्द्राज किया गया, जो बिना रोक–टोक के चलता रहा है। वर्ष 2008 में कृषि भूमि की कीमतों के बढ़ने से रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/2 की नियत में खोट आने से उक्त कृषि भूमि को विवादित करने व हड़पने की नियत से एक वाद रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/1 की सहमति जताते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश किया। उक्त वाद पत्रावली दर्ज होकर प्रक्रियाधीन रहते बहस हेतु आदेशिका दिनांक 01.06.2016 अनुसार विचाराधीन थीं। आदेशिका दिनांक 10.06.2016 के अनुसार वाद पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत कार्य में व्यस्त होने से पेशी ईल्तवा कर दिनांक 31.08.2016 को मुकर्रर की गई। उक्त आदेशिका के बाद कर्मचारियों का राजस्व लोक अदालत कैम्प में व्यस्त होने से पत्रावली में कोई तारीख नियत नहीं की गई। परन्तु दिनांक 02.11.2016 को पत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स व उनके अधिवक्ता की बहस सुने बिना ही पत्रावली पर एकतरफा कार्यवाही कर कैम्प का टारगेट पूरा करने की नियत से बाले–बाले विधिविरुद्ध तरीके से आदेश पारित कर दिया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/2 ने वादीगण/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/1 की सहमति व्यक्त करते हुए एक वाद मौजा खेजड़िया तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 11 रकबा 19 वीघा 13 बिस्वा किस्म जदाई दोयम जिसके नये खसरा नम्बर 27 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.92 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 32 रकवा 0.99 हैक्टेयर कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर बने मानते हुए पेश किया गया तथा उक्त कृषि भूमि को पुश्तैनी बताकर इसमें 1/5वां हक, हिस्से की मांग की गई। वादीगण/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा वाद पत्र में गला पुत्र अचलाजी के सभी पुत्रों की संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया और बिगोडी भरना भी जाहिर किया। साथ ही अपीलाण्ट्स 1 लगायत 3 द्वारा सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त कृषि भूमि को अपने नाम अलग–अलग खातेदारी के रूप में दर्ज करवाने के तथ्यों का उल्लेख किया। जबकि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को गला ने अपने तीनों पुत्र लखाराम, पुनाराम व थानाराम को जरिये अलग–अलग बक्षीसनामा दिनांक 04.12.1974 को बक्षीश कर दी थीं और माफिक हिस्सा रकबा अनुसार मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। बक्षीशगृहिता ने मौके पर कब्जा सम्भाल कर कब्जा काश्त कायम रखा, जिसके रहते वक्त सेटलमेन्ट कार्यवाही में उक्त कृषि भूमि कब्जा काश्त अनुसार व बक्षीशनामा के अनुसार खसरा नम्बर 27 रकबा 0.95 हैक्टेयर लखाराम, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.92 हैक्टेयर पुनाराम व खसरा नम्बर 32 रकबा 0.95 हैक्टेयर थानाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई, जो आज भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा उक्त इन्द्राज सही रूप से किये, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन रही वाद पत्रावली में अपीलाण्ट्स को सुने बिना ही एकतरफा कार्यवाही कर वादीगण/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/1 व 1/2 का वाद स्वीकार कर उक्त कृषि भूमि में 1/5वां हक–हिस्से का खातेदार घोषित कर कानूनी भूल कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/2

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा 1/1 की सहमति व्यक्त करते वाद–पत्र पेश किया है, वह विधि विरूद्ध है। क्योंकि अगर कोई पक्षकार किसी अन्य पक्षकार की ओर से उपस्थिति प्रकट करता है तो उस पक्षकार का अधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है। परन्तु उक्त वाद में वादीगण/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/1 की ओर से वादीगण/रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/2 को कोई विधिक अधिकार पत्र या सहमति पत्र वाद पेश करने बाबत नहीं दिया गया है एवं न ही विधिक अधिकार पत्र या सहमति पत्र प्राप्त का वाद पत्र में उल्लेखित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 2 व 3/1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि में बोई फसल हाल ही में अतिवृष्टि से खराब होने से पटवारी हल्का को दिनांक 07.08.2017 को मिलने गये तब पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट संख्या 2 व 3/1 को अपनी उक्त विवादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.92 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 32 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर के सम्बन्ध में अपने विरुद्ध हुए फैसले की जानकारी दी। इस तरह दिनांक 07.08.2017 को अपीलाण्ट को उक्त खातेदारी में हुए आदेश व डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई जिसकी जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। परन्तु उक्त आदेश व डिक्री की जानकारी होने से मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल पर रहने से उक्त अपीलाधीन आदेश व डिक्री की नकल दिनांक 18.08.2017 को तैयार होकर प्राप्त हुई। जिसके प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी देरी के श्रीमान के समक्ष तैयार कर पेश की जा रही हैं। अपील पेश में हुई देरी को क्षमा करने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से म्याद प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

1. 2024 (1) RRT 437
2. 2024 (1) RRT 386
3. 2019 (2) RRT 970
4. 2013 (1) RRT 391
5. 1998 RRC 40
6. 1996 RBD 457 (A)
7. 2017 (3) DNJ 1054

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

8. 2012 (2) DNJ 1082

9. 2014 (1) DNJ 405

10. 2016 (4) DNJ 1729

11. 2013 (2) DNJ 750

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन करते हुए प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के कायम मुकाम द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2016 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत की। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण दिनांक 07.08.2017 को फसल खराबे के संबंध में हल्का पटवारी से मिले, तब पटवारी ने उनके विरूद्ध हुए फैसले की जानकारी दी। तत्पश्चात नकल आदि प्राप्त कर अधिवक्ता से संपर्क किया एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नकल दिनांक 18.08.2017 को प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। साथ ही विलंब अपीलांट की उदासीनता के कारण घटित होना नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1/2 द्वारा 1/1 की सहमति व्यक्त करते हुए वादपत्र पेश किया। जो विधिविरूद्ध है। क्योंकि अन्य पक्षकार द्वारा उसे ऐसा किये जाने के लिए कोई अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया गया था व न ही कोई सहमति पत्र या अधिकार पत्र रेस्पोंडेंट संख्या 1/2 द्वारा प्रकट व प्रस्तुत किया गया है। अतः वादपत्र प्रथमदृष्टया ही चलने योग्य नहीं था। जिस पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं शपथ पत्र पर वादी 1/2 केसाराम के हस्ताक्षर है तथा वादी केसाराम द्वारा ही प्रकरण में अधिवक्ता श्री अमृतलाल चौधरी को वकालतनामा पैरवी हेतु दिया गया था। जबकि वादपत्र भगाराम के कायम मुकाम 1/1 चैनाराम पुत्र भगाजी व 1/2 केसाराम पुत्र भगाजी की ओर से बतौर वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के पद संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि "वादीगण दोनों एक ही परिवार के व्यक्ति है एवं दोनों सगे भाई हैं। वादी संख्या 1 चैनाराम खाने–कमाने हेतु बाहर बंबई रहते हैं, जिस कारण से उनकी ओर से यह दावा उनकी आज्ञा, अनुमति व सहमति से उनके भाई वादी संख्या 2 केसाराम की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी केसाराम द्वारा ऐसा कोई स्वीकार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उनके भाई चैनाराम द्वारा उनकी ओर से वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सहमति प्रदान की हों या अधिकृत किया हों"?

5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 14 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:–

14. <u>अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना</u> – हर अभिवचन पक्षकार द्वारा एवं यदि उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, परंतु जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हैतुक से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वहां वह ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा जो उसकी ओर से उसे हस्ताक्षरित करने के लिए या वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी केसाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना वादपत्र प्रस्तुत किया गया, वादी चैनाराम द्वारा वादी केसाराम को उसकी ओर से वादपत्र प्रस्तुत करने, अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने व प्लीडर आदि नियुक्त करने के लिए अधिकृत किये बिना वादी केसाराम द्वारा वादी चैनाराम की ओर से भी वादपत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर कोई गौर किए बिना वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा नहीं मांगने के बावजूद वादी चेनाराम को भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अनुतोष प्रदान किया गया। जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः इस संबंध में अपीलांट द्वारा लिया गया उज्र स्वीकार योग्य है।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2016 को वादीगण की साक्ष्य बंद की गई तथा प्रतिवादीगण का जवाबदावा नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने का अंकन करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हुए पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किए बिना सीधे बहस हेतु नियत की गई। हमारे विनम्र मत में यह सही है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा इस कारण विवाद्यक भी विरचित नहीं किए गए। इसलिए प्रतिवादीगण को अपना कोई उज्र/दावा/प्रतिदावा साबित नहीं किया जाना था तथा इस हेतु कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन प्रतिवादीगण के पास यह अधिकार सदैव सुरक्षित रहता है कि वह वादी के दावे को साक्ष्य से खंडित कर सकें। अतः प्रतिवादीगण को वादी के दावे को खंडन किए जाने का अवसर प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में दिया जाना चाहिए। जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाकर कानूनन भूल की हैं। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में यह भी उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि को गला ने अपने तीनों पुत्र लखाराम, पुनाराम व थानाराम को अलग–अलग बख्शीशनामा दिनांक 04.12.1974 को बख्शीश कर दी थीं तथा सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान मुताबिक बख्शीशनामा व कब्जाकाश्त खातेदारी दर्ज की गई। अपीलांट का उक्त उज्र व बख्शीशनामा आदि प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने का अवसर दिया जान अपेक्षित था, ताकि अपीलांट प्रतिवादी के उज्र का संगत विधिक प्रावधानों के संबंध में परीक्षण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत निर्णय लिया जाता। लेकिन प्रतिवादी साक्ष्य के अभाव में यह संभव नहीं हो सका तथा इस स्तर पर कथित बख्शीशनामा के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं हैं।

7. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भू–प्रबंध पूर्व जमाबंदी संवत 2026 से 2029 प्रदर्श 1 के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज गला की खातेदारी होना तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार हाल खसरा संख्या 27, 28 व 32 बनना माना है। जो उपलब्ध साक्ष्य से सुसंगत है। लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 61 से 64 खसरा संख्या 27 प्रतिवादी संख्या 1 लखा की खातेदारी होना प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 61 से 64 खसरा संख्या 32 प्रतिवादी पूना की खातेदारी होना तथा प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 61 से 64 के अनुसार खसरा संख्या 28 की आराजी प्रतिवादी थाना के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज होना अभिलेख से स्पष्ट है तथा साक्ष्य से सुसंगत है। लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय इस विनिश्चय तक पहुंचे कि प्रदर्श 3, 4 व 5 में दर्ज प्रविष्टियां किस कारण से गलत है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भूप्रबंध पश्चात कब व किस प्रकार से प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त आराजीयात में बतौर खातेदार दर्ज हुआ तथा ऐसा किस कारण से गलत था। वादी द्वारा भी इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा केवल यह अंकित करते हुए कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रथमदृष्टया वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

व प्रतिवादीगण की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी होना प्रतीत होती हैं, के आधार पर वादपत्र डिक्री किया गया। न्यायालय केवल प्रतिति या संभावना के आधार पर किसी भी अंतिम विनिश्चय तक नहीं पहुंच सकता। अतः हमारे विनम्र मत में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत व आवश्यक होगा।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 265/2008 बअनवान भगाराम के कायम मुकाम चेनाराम वगैरह बनाम लखाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 14 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों के संबंध में सर्वप्रथम प्रकरण का परीक्षण व निर्णयन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 04.09.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner